झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना

अधि० संख्या–10–PMAY-G–27/2019/ग्रा0वि0–, 8753 राँची, दिनांक 04.10.19

ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यय मद में उपलब्ध राशि से विभागीय अधिसूचना संख्या–3049, दिनांक–22.08.2019 द्वारा राज्य समन्वयक (IT), सहायक वित्त प्रबंधक तथा Computer Operator-Cum-Office Assistant के पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है।

2. उक्त अधिसूचना में Computer Operator-Cum-Office Assistant को निरस्त किया जाता है। उक्त के स्थान पर Computer Operator के लिए 02 पद की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नरूपेण आरक्षण एवं मासिक मानदेय निर्धारित किया जाता है :–

क्र0 सं0	पद का नाम	पद की संख्या	मासिक मानदेय
1	Computer Operator	02 (UR-1, ST-1)	18,190/-

3. **शैक्षणिक योग्यता** : उपर्युक्त पदों के लिए निम्नरूपेण शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है :–

S. No.	Name of the Post	No. of Post	Age	Education Qualification and Experience
1.	Computer Operator	02	18-30 Yrs	Intermediate & Diploma in Computer Application from recognized university/institutions with minimum 1 years' experience

उम्र सीमा* :– उम्र की गणना 01.09.2019 के आधार पर की जाएगी।

4. **नियुक्ति प्रक्रिया :–**

I- उक्त पद के लिए राज्य स्तरीय चयन समिति के अनुशंसा के आलोक में संविदा पर नियुक्ति की जायेगी।

II- नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं टंकण जाँच के अंकों के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।

5. **मेधा सूची :–**

I. उपर्युक्त पद के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य/वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं टंकण जाँच के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जायेगी।

II. अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

III. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी तथा यदि सभी के स्थानीयता में समानता होने की दशा में लौटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

6. **मूल्यांकन :–**

I. आवेदक का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जायेगा।

II. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक तथा पिछडा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

7. **आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :**

I. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाईन आवेदन http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर दिनांक– 05.10.2019 से 12.10.2019 तक समर्पित करना होगा।

8. **संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवाशर्त्त निम्नवत् होगी :–**

(i) प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी। वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त उनके कार्यों का समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा एवं मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी।

(ii) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परंतु कार्य असंतोषजक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

(iii) उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(iv) संविदा अवधि के नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

(v) कार्यों की समीक्षा उपरान्त इन्हें प्रतिवर्ष 01 अप्रैल की तिथि से इनके मानदेय में अधिकतम 5% की वृद्धि की जाएगी।

(vi) आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अतिरिक्त दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा दी जायेगी, जिसका निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा।

(vii) आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अंदर यात्रा करने हेतु राज्य सरकार के यात्रा नियमावली के अनुरूप यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

(viii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आकस्मिक अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।

(ix) नियुक्त कर्मियों को विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।

4.10.19

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।